स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-Daff/69/2019-O/o DIR (TC)(UP)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक 18.09.2020

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्या,
महरानी लक्ष्मीबाई निजी आईटीआई,
गाँव- बाबरी पोस्ट- बाबरी
जिला- शामली, उत्तर प्रदेश - 251305

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में कारण बताओ नोटिस ।

महोदय ,

पंकज कुमार पुत्र श्री मानचंद, गाँव+ पोस्ट हसनपुर लुहारी, जिला- शामली उत्तर प्रदेश, के द्वारा दिनांक 20.08.2020 को भेजा गया शिकायत पत्र जो इस महानिदेशालय को दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त हुई । जिसमें यह बताया गया है कि **महरानी लक्ष्मीबाई निजी आईटीआई** (PU09900375) **वर्ष 2018 में पुरानी किराये की बिल्डिंग को छोड़कर खेतों में अपनी नई बिल्डिंग बनाकर बिना किसी निरीक्षण व विभागीय अनुमति के नियमविरुद्ध ट्रांसफर कर ली है ।** (शिकयत प्रति सलंग्न) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (05.10.2020 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

- आपको कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित करना है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. पंकज कुमार पुत्र श्री मानचंद, गाँव+ पोस्ट हसनपुर लुहारी, जिला- शामली, उत्तर प्रदेश

(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

सेवा में,

श्रीमान महेन्द्रनाथ पाण्डेय जी, मंत्री,
उद्यमिताशीलता एवं कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय :– **महारानी लक्ष्मीबाई आई0टी0आई0, बाबरी (जिला शामली) द्वारा बिना विभागीय अनुमति/निरीक्षण के अपनी आई0टी0आई0 को अन्यत्र स्थापित करने की जॉच हेतु प्रार्थना पत्र।**

महोदय,

सविनय निवदेन यह है कि महारानी लक्ष्मीबाई आई0टी0आई0, बाबरी (जिला शामली) को कम्प्यूटर जनित फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किराये के भवन में जनता इण्टर कॉलेज बाबरी के सामने वर्ष 2016 में **QCI** के माध्यम से मान्यता हुई थी। प्रार्थी वर्ष 2016 से ही महारानी लक्ष्मीबाई आई0टी0आई0, बाबरी (जिला शामली) में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्यरत था तथा कोरोना महामारी में प्रार्थी को केवल फरवरी–2020 तक का वेतन दिया है और आगे का वेतन नहीं दिया है। वेतन मांगने पर आई0टी0आई0 का मालिक सुभाष मिस्त्री व उसके लड़के अभिषेक ने प्रार्थी को मारपीट व गाली–गलौच कर भगा दिया है। इसलिए प्रार्थी मजबूर होकर अपनी व्यथा आपके समक्ष रख रहा है।

महारानी लक्ष्मीबाई आई0टी0आई0, बाबरी (जिला शामली) ने वर्ष 2016 में जिस किराये के भवन में (जनता इण्टर कॉलेज, बाबरी के सामने) QCI से फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों पर मान्यता ली थी, उसके दो वर्ष बाद 2018 में पुरानी किराये की बिल्डिंग को छोड़कर खेतों में अपनी नई बिल्डिंग (पुलिस थाने के पास/मानसरोवर पब्लिक स्कूल, बाबरी के सामने) बनाकर बिना किसी निरीक्षण व विभागीय अनुमति के नियमविरूद्ध ट्रांसफर कर ली है, इस अनुचित कार्य में आई0टी0आई0 विभाग के सहारनपुर मण्डल के संयुक्त निदेशक श्री आर.के. मिश्रा को 30,000/– (तीस हजार रूपये) दिये गए थे। महारानी लक्ष्मीबाई आई0टी0आई0, बाबरी (जिला शामली) ने वर्ष 2016 में जिस किराये के भवन में फर्जी मान्यता ली थी अब उस भवन में संस्कार विद्यापीठ नामक स्कूल संचालित हो रहा है।

अतः प्रार्थना है कि महारानी लक्ष्मीबाई आई0आई0आई0, बाबरी (जिला शामली) के संचालक द्वारा नियम विरूद्ध व मनमर्जी से भवन स्थानान्तरण की निष्पक्ष जॉच कराकर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

दिनांक : 20/08/2020

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Dir. (SKG)
FTS/Dy. No. 1918
Date 3/9/2020

T.C. Section, DGT
Dy. No. 3137
Date 7/9/2020

प्रार्थी,
पंकज
(पंकज कुमार)
पुत्र श्री मानचन्द
गॉव+डा0–हसनपुर लुहारी जिला शामली

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
DG (T)
Dy. No. 888
Dt. 3/9/20

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Minister
Dy. No. 710
Date 01.09.2020